(५७) (6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3586–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर, प्रकरण क्रमांक 29/2006–07/बी–121

.....

गोकुल दत्तक पुत्र रामनाथ
निवासी–ग्राम पाण्डोला,
परगना व जिला–श्योपुर (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर
जिला–श्योपुर

.....अनावेदक

.....

श्री रामनरेश दोनेरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक, अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर श्योपुर, जिला–श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पाण्डोला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1844/1 रकबा 5 बीघा, सर्वे क्र0 1844/4 रकबा 1 बीघा, 15 बिस्ता कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा पर आवेदक के दत्तक पिता रामनाथ उपकृषक की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं वादित भूमि का लगान अदा करता चला आ रहा है एवं लगान की 15 गुना राशि सरस्वती कुमारी को अदा कर दी गई है । आवेदक के पिता के मृत्यु

के पश्चात आवेदक ही उपरोक्त भूमि पर उप कृषक की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । आवेदक व आवेदक के पिता लम्बे समय से सरस्वती कुमारी के स्थान पर लम्बे समय से कब्जा व अधिपत्य का सरस्वती कुमारी ने आवेदक के पिता रामनाथ को एवं उनकी मृत्यु के बाद वादित भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की । आवेदक वादित भूमि में सरस्वती कुमारी के स्थान पर मौरूषी कृषक के अधिकार प्राप्त होने के इस आधार पर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के समक्ष वादित भूमि पर भूमिस्वामी के हक देने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया उपरोक्त अवधि के आवेदक का विधिवत लम्बे समय से अपने दत्तक पिता के समय से उपकृषक के रूप में कब्जा व अधिपत्य होने के आधार पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्र0क्र0 90/92–93/अ–46 में पारित आदेश दिनांकित 26–03–94 को आवेदक का सरस्वती कुमारी के स्थान पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल किया गया । उक्त आदेश पारित किये 15 साल के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर पारित आदेश दिनांक 28–10–2009 से निरस्त कर दिया एवं वादित भूमि को शासकीय घोषित करने का आदेश दिया। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2009 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत खसरा व अन्य मौखिक साक्ष्य का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन नहीं किया गया जबकि खसरा व खतौनी में विवादित भूमि पर खसरा पंच0 में खाना नं0 3 उप कृषक के कॉलम में आवेदक के दत्तक पिता रामनाथ पुत्र बाला के नाम उपकृषक की एन्ट्री चली आ रही है आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस कारण उक्त मृतक रामनाथ की तरह आवेदक का वादित भूमि पर सरस्वती कुमारी के स्थान पर भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो गये है जिसके बावत् भूमिस्वामी सरस्वती कुमारी ने भी कोई चुनौती नहीं दी है । लम्बे समय से उप कृषक की एन्ट्री खसरा पंचशाला में दर्ज चली आ रही है तो उसके आधार पर तहसीलदार जो आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण व आधार के विवादित आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में हुये भूमिस्वामी के आदेश को निरस्त कर गम्भी

त्रुटि की है । खसरा पंचशाला में उप कृषक लम्बे समय से दर्ज चला आ रहा है उसके आधार पर अवधारणा की जाती है कि विवादित भूमि पर उपकृषक ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं लगान इत्यादि जमा करता चला आ रहा है । आवेदक एवं साक्षीगण ने द्वारकाप्रसाद, गोवर्धन व पटवारी मौजा ने कथन देकर आवेदक के द्वारा वादित भूमि पर शिकमी कृषक की हैसियत से काबिज होकर काश्त करने का उल्लेख किया है इस प्रकार तहसीलदार श्योपुर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं की है । तर्क में यह भी कहा गया कि विवादित भूमि को अपर कलेक्टर द्वारा शासकीय दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है जबकि विवादित भूमि राजस्व कागजात में आवेदक के नाम होने के पूर्व सरस्वती कुमारी पुत्री कोकसिंह के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चली आ रही थी इस प्रकार व्यक्तिगत कृषक की भूमि को किस आधार पर शासकीय घोषित किया गया है, जो अवैधानिक है । विवादित भूमि को शासकीय दर्ज करने का विवादित आदेश दिया है किन्तु आवेदक के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज होने के पूर्व विवादित भूमि सरस्वती कुमारी के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी अगर आवेदक के नाम विवादित भूमि तहसीलदार द्वारा गलत दर्ज करने का आदेश दिया है तो तहसीलदार का आदेश जो प्र0क्र0 90 / 92—93 / अ—46 में दिनांक 26—03—94 को दिया गया था वह आदेश अवैधानिक माना जाता है तो इस स्थिति में विवादित भूमि पूर्व भूमिस्वामी के रूप में राजस्व कागजात में दर्ज होना चाहिये न कि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की जावेंगी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित आदेश पारित करने के पूर्व भूमिस्वामी कुमारी पुत्री कोकसिंह को भी विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से श्री उनके पेनल अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपर कलेक्टर का आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन

किया गया । इस प्रकरण में तहसीलदार श्योपुर द्वारा आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन कि उसका ग्राम पाण्डोला की भूमि सर्वे नं. 1844/1 रकबा 5 बीघा व सर्वे नं. 184/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्स्वा पर कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी आदेश दिनांक 26–3–1994 द्वारा भूमिस्वामी घोषित करने के आदेश संहिता की धारा 190 के तहत पारित कर उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश दिए गए थे । विविध उपबंधों के विरूद्ध भूमि हस्तांतरण करने के निर्देश प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही में अवैधानिकता पाए जाने पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक को सुनवाई का पक्ष रखने का समुचित अवसर देने के उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत संवत 2046 से 2050 की जो नकलें पेश की हैं उनमें सरस्वती बाई का नाम भूस्वामी के रूप में अंकित है तथा रामनाथ पुत्र बाला का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है । आवेदक गोकुल का नाम कहीं अंकित नहीं है । आवेदक गोकुल रामनाथ का दत्तक पुत्र है इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही उसका कब्जा होने साक्षीगण ने बताया है । अपर कलेक्टश्र ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कआवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष समर्थन में न तो मौखिक तौर पर ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसका विवादित भूमि पर लंबे समय से कब्जाथा । उक्त आधार पर अपर कलेक्टर ने विवादित भूमि को राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का जो आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है उनका आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर